भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 17

सोमवार, 25 नवम्बर, 2024 / 4 अग्रहायण, 1946 (शक)

कॉर्पोरेट क्षेत्र में कार्यगत तनाव

17. **श्री के. सुधाकरनः**
एडवोकेट डीन कुरियाकोसः
प्रो. सौगत राय:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान पुणे की एक प्रमुख कन्सल्टेन्सी फर्म में कार्यरत 20-25 वर्ष की अल्पायु की एक महिला की काम के अत्यधिक तनाव के कारण हुई दुखद मृत्यु की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्रारंभ में मिली इस रिपोर्ट के साथ इस मामले की जांच शुरू कर दी थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार देश में बड़ी संख्या में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विषम कार्य संस्कृति के बारे में चिंतित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्य अवधि सहित इन पद्धतियों को विनियमित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ज): श्रम समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, श्रम कानूनों का प्रवर्तन राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा उनके संबंधित क्षेत्राधिकारों में किया जाता है। जबकि केन्द्रीय क्षेत्र में, प्रवर्तन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है, राज्य क्षेत्र में अनुपालन राज्य श्रम प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

मौजूदा श्रम कानूनों के अनुसार, कार्य घंटे सहित कार्य दशाएं, संबंधित राज्य सरकारों के कारखाना अधिनियम, 1948 तथा दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के उपबंधों के माध्यम से विनियमित किए जाते हैं।

जारी पृष्ठ 2/-

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों सहित मुख्य कंसल्टेंसी फर्मे दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत कवर की जाती हैं, जिसके लिए समुचित सरकार राज्य सरकार है।

एक महिला कर्मचारी की मृत्यु के संबंध में, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे स्थित कम्पनी से प्रतिक्रिया प्राप्त कर दिनांक 28.10.2024 को प्रेषित की है, जिसमें उनके कर्मचारियों की कार्य दशाएं और कार्य घंटे की जानकारी प्रदान की गई है, जैसाकि केंद्र सरकार द्वारा पूछा गया है।

*****